उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या : 1201–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 16–23–पें0एवंआर0–28 / 15 दिनांक : 16 दिसम्बर, 2016

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा,
केस्को, कानपुर।

विषय : पेंशनर्स को देय चिकित्सा भत्ते का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं, कारपोरेशन के पेंशनरों को मिल रहे चिकित्सा भत्ते की दर पुनरीक्षित करते हुए कारपोरेशन के आदेश सं0–1153–पें0 एवं आर0–28 / पाकालि / 15 दिनांक 30.09.2015 द्वारा चिकित्सा भत्ते रू0 200 / – प्रतिमाह अनुमन्य कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। इस प्रकार पुनरीक्षित चिकित्सा भत्ते का भुगतान सम्बन्धित पेंशन इकाई द्वारा किया जा रहा था।

2. तदन्तर शासनादेश सं0–1 / 2016 / 41 / 24–पी–2–16–सा0(84) / 2014 दिनांक 13.01.16 के अन्तर्गत पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के दिनांक 14 जनवरी, 2000 के विद्यमान पेंशनरों एवं उक्त तिथि को कार्यरत ऐसे कार्मिकों जिन्हें पेंशन सुविधा अनुमन्य है तथा जो विभिन्न उत्तराधिकारी कम्पनियों से दिनांक 14 जनवरी, 2000 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये अथवा होंगे, की दिनांक 01.03.2016 से देय पेंशन, उपादान एवं पेंशन राशिकरण का भुगतान कोषागारों के माध्यम से किया जा रहा है।

3. प्रस्तर–2 में वर्णित व्यवस्था लागू हो जाने के पश्चात कतिपय व्यवस्था सम्बन्धी कठिनाईयों के कारण राजकीय कोषागारों द्वारा पेंशनर्स को देय चिकित्सा भत्ते का भुगतान नहीं हो पाया है।

4. अतः मामले में समुचित विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

(क) चिकित्सा भत्ते का भुगतान पेंशन का अंग नहीं है। यह उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधिष्ठान व्यय का एक घटक है। अतः सम्बन्धित पेंशन भुगतान इकाई, जहॉ से पेंशनर पूर्व में पेंशन प्राप्त कर रहे थे के द्वारा चिकित्सा भत्ते की धनराशि रू0 200 / –प्रतिमाह का भुगतान सम्बन्धित पेंशनर के बैंक खातें में सीधे अन्तरित कराया जायेगा।

(ख) इस हेतु पेंशन वितरण इकाईयां निधि की मांग सम्बन्धित डिस्काम्स से करेंगी। डिस्काम्स उक्त मांग, अधिष्ठान निधि की मांग के साथ, वित्त प्रबन्ध अनुभाग, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन को प्रत्येक माह प्रेषित करेंगें। कारपोरेशन की लेखा शाखा की वित्त प्रबन्ध इकाई द्वारा उक्त निधि डिस्काम को निर्गत कर, उपलब्ध करायी जायेगी।

(ग) उपरोक्तानुसार चिकित्सा भत्ते का भुगतान किये जाने के पूर्व सम्बन्धित पेंशन इकाई को यह समाधान करना होगा कि सम्बन्धित पेंशनर के विद्युत संयोजन पर देय विद्युत देयों का भुगतान कर दिया गया है।

(घ) यदि पेंशनर द्वारा अवशेष विद्युत देयों का भुगतान कर दिया गया है तो चिकित्सा भत्ते का भुगतान उपरोक्त बिन्दु (क) के अनुसार किया जायेगा।

(ड़) यदि विद्युत देय अवशेष है, तो चिकित्सा भत्ते का समायोजन विद्युत देयों में कर लिया जायेगा।

......2......

(च) सम्बन्धित पेंशन आहरण इकाईयों द्वारा इस हेतु आवश्यक अभिलेखों का रख–रखाव भली प्रकार किया जायेगा।

5. कृपया पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उमेश गुप्त)
संयुक्त सचिव(अरा0)

संख्या : 1201–पें0एवंआर0–28/पाकालि/2016 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।
2. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, कक्ष संख्या–148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक कोषागार, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा, केस्को, कानपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियां।
14. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियॉं।
17. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
18. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
19. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
20. महामंत्री, विद्युत पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (उ0प्र0), 86/92ख, रिसालदार पार्क, लखनऊ।
21. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू0पी0, पेंशनर्स एसोसिएशन, 18–बी, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ।
22. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
23. कट फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश गुप्त)
संयुक्त सचिव(अरा0)